सं0संख्या–6 / एन0–01–08 / 10–150(6)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

बिमला प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

फैक्स

सभी सिविल सर्जन /
सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल /
सभी प्राचार्य / प्राचार्या,
ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 स्कूल, स्वास्थ्य विभाग ।

/ पटना, दिनांक–23.03.2012

विषय:–ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 स्कूल में कार्यरत सिस्ट ट्यूटर (संविदा आधारित) के वेतन भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन ।

प्रसंग:–विभागीय ज्ञापांक SHSB/AO Cell/287/2011-100 दिनांक **04.01.12** एवं SHSB/AO Cell/287/2011-29905 दिनांक **06.09.11**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि इसके आलोक में कुल 74 सिस्ट ट्यूटर चयनित / कार्यरत है ।

ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल में सृजित सिस्टर ट्यूटर पद का वेतन भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परिवार नियोजन Infrastructure Maintenance के अन्तर्गत किया जाता है । अनुबंध पर रखे गये ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 पूर्व से स्वीकृत पदों के विरूद्ध हैं और राज्य सरकार का स्पष्ट निर्णय है कि यदि नियमित पदों पर नियमित स्थायी नियुक्ति नहीं की गयी है तो उनके विरूद्ध पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाकर अनुबंध पर सिस्टर ट्यूटर रखने की अनुमति है । इस के आलोक में राज्य स्वा0 समिति के स्तर से उपरोक्त सिस्टर ट्यूटर का चयन कर उन्हें आपके संस्थान में पदस्थापित किया गया है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि सिस्टर टयूटर की नियमित स्थापना मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से ही निर्धारित मानदेय भुगतान अनुमान्य है । अतएव उपलब्ध राशि से नव नियुक्त सिस्टर ट्यूटर का भुगतान सुनिश्चित किया जाय । यदि उक्त मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो अविलम्ब इसकी मांग स्वास्थ्य विभाग से की जाय ।

इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(बिमला प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 / एन0–01–08 / 10–150(6) / पटना, दिनांक–23.03.12

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वा0 सेवाएं / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वा0 समिति, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना / प्रशासी पदाधिकारी, राज्य प0क0 ब्यूरो / प्रशाखा पदा0–01, 06, 07 एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक–6 / एन0–01–08 / 10– 159(6) / पटना, दिनांक– 27/03/2012

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव